केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

CIC/AA/A/2020/70
CICOM/A/P/20/00031
CICOM/R/P/20/00051

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
20 MAR 2020
D. No..........
Initials..........

अपीलकर्ता : श्री शम्भू प्रसाद प्रजापति
ई - 18, जय विहार फेस - 1
नजफगढ़, नई दिल्ली - 110043.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	20.01.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	21.02.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.02.2020
प्रथम अपील आवेदन की डायरी सं. एवं तिथि	23147/02.03.2020

मांगी गई सूचना का संक्षिप्त विवरण :-

1. अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन में तीन बिंदुओं में उल्लेख किया गया है कि द्वितीय अपील सं. (1) CIC/AD/A/2012/002591 (2) CIC/SA/A/2016/000693 एवं(3) CIC/TDDEL/A/2017/116067 के आदेशानुसार संबंधित विभाग द्वारा सूचना नहीं दी गई है तथा अनुरोध किया है कि संबंधित जन सूचना अधिकारियों पर 250/-रु0 प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगा कर आदेश की कॉपी दी जाए ।

प्रथम अपील का आधार:-

2. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि दिनांक 20.01.2020 को सूचना अधिकार कानून के तहत आवेदन किया है, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है तथा अनुरोध किया है कि मांगी गई सूचना दिलवाई जाए ।

निर्णय:-

3. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने अपने उक्त आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सूचना नहीं मांगी है, बल्कि जुर्माना लगाने का अनुरोध किया है जो कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है, इस तरह का अनुरोध सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर है । श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा प्रदान की गई सूचना में भी उल्लेख किया है कि "this is not covered under RTI Act". हालांकि श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा सूचना प्रदान करने में कुछ विलम्ब भी हुआ है क्योंकि आर.टी.आई. आवेदन केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 20.01.2020 को प्राप्त हुआ है एवं सूचना 22.02.2020 को प्रेषित की गई है । **श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बिल्कुल तथ्यानुसार है, परन्तु श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में आर.टी.आई. आवेदनों से संबंधित सूचनाएं केन्द्रीय सूचना आयोग में आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अंदर ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।** श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुन: संलग्न है ।

---2/-

4. उपरोक्तानुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. यदि अपीलकर्ता प्रस्तुत निर्णय से असंतुष्ट हैं और चाहते हैं, वो केनद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 के समक्ष इस निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

संलग्नक - यथोपरि ।

दिनांक : मार्च 18, 2020

मीना शर्मा 18/3/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DO to IC (YS), केन्द्रीय सूचना आयोग ।

20/3/2020

20/3/20